न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 73/2024 FSSA

1. सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मनन्द शर्मा मैसर्स–श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर, पता–छपरीया धर्मशाला के नीचे, मैन बाजार, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरिया तहसील सिकराय, जिला दौसा।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

दिनांकः–11.02.2026

–::आदेश::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06.03.2024 को सांयकाल 03.40 बजे मैसर्स श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर, पता–छपरीया धर्मशाला के नीचे, मेन बाजार मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरीया तहसील–सिकराय, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैसर्स श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर पर विक्रेता श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मनन्द शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त मैसर्स–श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की मैसर्स श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर पर साफ सुथरी स्टील की भगोनी/बर्तन में फ्रीज के अन्दर लगभग 6 किलोग्राम भोजनालय में काम लेने हेतु खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 800 ग्राम दही लूज (Dahi Loose) खरीदा। जिनकी कीमत 50 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 800 ग्राम दही लूज (Dahi Loose) को हिला–मिलाकर मेश कर 4 साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 16–16 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं कमांक एजी 4184 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबार कर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप नंबर एजी 4184 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनों पर आवे चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियाँ तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (स्वयं) द्वारा दिनांक 07.03.2024 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 07.03.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 07.03.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/752/एक्ट/2024/938 दिनांक 19.03.2024 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का नमूना अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/752/एक्ट/2024/938 दिनांक 19.03.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का नमूना अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) के नमूने की जांच में Milk Fat Result 1.63% आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम 4.5 प्रतिशत तक होनी चाहिए थी। Milk solids Result 7.22 % आयी है जो कम से कम 8.50 प्रतिशत होनी चाहिए थी। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी की श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर के नाम से छोटी सी दुकान है। जिस पर प्रार्थी द्वारा साफ सुथरी स्टील की भगोनी में फ्रीज के अन्दर लगभग 6 किलोग्राम दही रखा हुआ था। प्रार्थी द्वारा बाजार से दूध खरीद कर लस्सी हेतु दही तैयार किया गया था। जिसमें से 800 ग्राम दही जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदा गया था। प्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ का अमानक स्तर के होने की जानकारी नही थी। प्रार्थी छोटा दुकानदार है। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/752/एक्ट/2024/938 दिनांक 19.03.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मनन्द शर्मा मैसर्स–श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर, पता–छपरीया धर्मशाला के नीचे, मैन बाजार, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरिया तहसील सिकराय, जिला दौसा(राज0) पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/2026
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 11 .02.2026

क्रमांकः FSSA/26/ 34-36

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मनन्द मैसर्स–श्री बालाजी टी स्टाल और कोल्ड ड्रींक सेन्टर, पता–छपरीया धर्मशाला के नीचे, मैन बाजार, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरिया तहसील सिकराय, जिला दौसा।

11/2/2026
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner